


हॉन्गकॉन्ग की चुनावी प्रणाली में परविरतन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने हॉन्गकॉन्ग की चुनावी प्रणाली में कई बड़े बदलाव किये हैं।

- यह कदम जून 2020 में [राष्ट्रीय सुरक्षा कानून](#) लागू करने के बाद चीन द्वारा [हॉन्गकॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र](#) (HKSAR) पर अपनी आधिकारिक पकड़ को मजबूत करने के प्रयासों का हसिसा है।



प्रमुख बद्दि:

नई चुनावी प्रणाली::

- विधानपरिषद की सदस्यता में वृद्धि:
 - इस बदलाव के तहत हॉन्गकॉन्ग की विधानपरिषद (HKLC) के सदस्यों की संख्या बढ़कर 90 हो जाएगी। साथ ही बड़ी हुई सीटों के लिये अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की हसिसेदारी कम हो जाएगी।
 - वर्तमान में HKLC के कुल 70 सदस्यों में से केवल आधे सदस्य ही सीधे चुने जाते हैं और बाकी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
- चुनाव समतिका वसिताएँ:
 - चुनाव समति (हॉन्गकॉन्ग इलेक्टोरल कॉलेज) में चीन से मनोनीत सदस्यों को शामिल करने के लिये इसका वसितार किया गया है।
 - चुनाव समतिपिछले की तरह मुख्य कार्यकारी या चीफ एक्जीक्यूटिव (Chief Executive) का चुनाव करने के लिये उत्तरदायी होगी और यह HKLC के कुछ सदस्यों का भी चुनाव करेगी।
- नई उम्मीदवार की योग्यता:
 - नई उम्मीदवार योग्यता समीक्षा समतिकी स्थापना के माध्यम से चुनावों के लिये "देशभक्त" उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रभाव:

- यह प्रविरतन हॉन्गकॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (HKSAR) के संचालन में चीन द्वारा नियुक्त राजनेताओं के प्रभाव/हस्तक्षेप को बढ़ाएगा, जो वर्ष 1997 के सत्रांतरण के बाद सबसे बड़े बदलाव को चिह्नित करता है।
- बीजगी समर्थक अधिकारियों की बड़ी हुई संख्या शहर के नेतृत्व को प्रभावित करने में विपक्ष की शक्ति को कमज़ोर कर देगी।
- यह उस राजनीतिक स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा जो हॉन्गकॉन्ग को "एक देश, दो प्रणाली" मॉडल के तहत मुख्य भूमि (चीनी जन-गणराज्य या पी.आर.सी.) से अलग करता था।

भारत के लिये नहितिरथ:

- हॉन्गकॉन्ग वैश्वकि बाज़ार में भारतीय वस्तुओं के पुनर्नियात का एक प्रमुख केंद्र है।
 - हॉन्गकॉन्ग भारत के लिये चौथा सबसे बड़ा नियात बाज़ार है।
- भारत का मत है कि हॉन्गकॉन्ग चीन के साथ इसके संबंधों को मज़बूत करने में महत्वपूरण भूमिका नभी सकता है, क्योंकि इसे चीन का प्रवेश द्वारा माना जाता है।
- ऐसे में हॉन्गकॉन्ग में राजनीतिक अशांति के कारण उत्पन्न वैश्वकि तनाव शेष विश्व और चीन के साथ भारत के व्यापार को भी प्रभावित कर सकता है।

आलोचना:

- युरोपीय संघ ने इन परविरतनों की नदि करते हुए चीन को व्यापक प्रतिबिधों की चेतावनी दी है।
- G7 ने इस बदलाव को हॉन्गकॉन्ग में असहमतपूरण आवाज़ों एवं विचारों को दबाने की दशा में एक कदम बताया है।
- विश्व की सभी प्रमुख अरथव्यवस्थाओं (जैसे-संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया) ने इस कदम की नदि की है और चीन से एक अधिक सहभागी और प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था के संचालन की अनुमतिदेने का आग्रह किया है।
- यह परविरतन 'चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा' (Sino-British Joint Declaration) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।

चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा :

परविय

- यह चीन की संप्रभुता के तहत हॉन्गकॉन्ग को लेकर यूनाइटेड कंगिडम और चीन के बीच वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित एक संधि है।
- इस संधि के मुताबिकि, चीन 1 जुलाई, 1997 से अफीम युद्ध (वर्ष 1840) के बाद ब्रिटेन के कबड्डे वाले हॉन्गकॉन्ग का नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लेगा।
 - अफीम युद्ध: ये चीन के चंगि राजवंश और यूरोप के बीच लड़े गए युद्ध थे। ये दोनों युद्ध अफीम व्यापार पर अंकुश लगाने के लिये चंगि राजवंश के प्रयासों का परणिम थे।
 - पहला युद्ध वर्ष 1839 से वर्ष 1842 के बीच, जबकि दूसरा युद्ध वर्ष 1856 से वर्ष 1860 के बीच लड़ा गया था।

प्रावधान

- इस संधि में कहा गया है कि हॉन्गकॉन्ग के बारे में चीन की बुनियादी नीतियाँ 50 वर्षों तक अपरविरति रहेंगी और हॉन्गकॉन्ग के लिये उच्च स्तर की स्वायत्तता सुनिश्चिति की जाएगी। इन नीतियों को हॉन्गकॉन्ग के 'बेसकि लॉ' के तहत नियंत्रित किया गया है।
 - वर्ष 1997 से हॉन्गकॉन्ग को शासन करने वाले 'बेसकि लॉ' के मुताबिकि, हॉन्गकॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, चीन का हस्तिका तो है, किंतु विदेश नीति और रक्षा मामलों के अतिरिक्त हॉन्गकॉन्ग को काफी अधिकि 'स्वायत्तता' एवं 'कार्यकारी, विधायी तथा स्वतंत्र न्यायिक शक्तियाँ' प्राप्त हैं।
 - इसके मुताबिकि, चीन की समाजवादी प्रणाली और नीतियाँ 50 वर्षों के लिये हॉन्गकॉन्ग पर लागू नहीं होंगी।

आगे की राह

- इस नए कानून से हॉन्गकॉन्ग के लोकतंत्र समरथक आंदोलन पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ेगा और वर्ष 1997 में चीन को सौंपे जाने पर हॉन्गकॉन्ग को प्रदान की गई स्वायत्तता पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और नए चुनावी परविरतनों के साथ हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र समरथक विकास के लिये काफी कम स्थान रह गया है।
- चीन को अपने कानूनी दायतिवों के अनुरूप कार्य करना चाहिये और हॉन्गकॉन्ग में मौलिकि अधिकारों एवं हॉन्गकॉन्ग की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिये।

स्रोत: द हट्टी